18/11/2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प रायपरवाड़ा में पेश हुई। वादी नवलसिंह, गवाह हनुमानसिंह का शपथ-पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वादी को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम ग्राम रायपरवाड़ा के खाता संख्या 145, 146, 147, 148 में वादी का नाम दीपसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज है जो सन् 1995 में पिता के स्वर्गवास के वक्त फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी नाबालिग था तथा घर पर प्यार से दीपसिंह नाम से पुकारते थे जिसके कारण फौतगी नामान्तकरण में दीपसिंह नाम दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि वादी का वास्तविक नाम नवलसिंह है वादी के समस्त दस्तावेज आधार-कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड आदि सभी दस्तावेजो में नाम नवलसिंह दर्ज है जो सही है जिससे वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज दीपसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर नवलसिंह पुत्र नारायणसिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

नवल सिंह

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 3 व 5 से 13 ने वाद को स्वीकार करते हुए स्वीकारोक्ति जबाब पेश किया है तथा प्रतिवादी 4, 14, 15 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वयं प्रतिवादी 1 ने अपना शपथ-पत्र पेश किया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प रायपरवाड़ा में मजमे आम ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से जानकारी करने पर सभी ने बताया है कि दीपसिंह नारायणसिंह व नवलसिंह पुत्र नारायणसिंह दोनों नाम का एक ही व्यक्ति वादी है इसके अतिरिक्त अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति नहीं है अतः चूंकि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में वर्णित अन्य सह खातेदार प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब पेश कर स्वीकार किया है जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रायरवाड़ा के खाता संख्या 145, 146, 147, 148 में दर्ज दीपसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर नवलसिंह पुत्र नारायण सिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार परबतसर को तहरीर जावे है। यह आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प रायरवाड़ा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 8/1 उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)	